श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय

(केंद्रीय विश्वविद्यालय, संसद अधिनियम द्वारा स्थापित)

सूचना का अधिकार अधिनियम-2005

धारा 4(1) (बी) (ii)

1.2.1- अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियाँ और कर्तव्य

क्रम सं.	अधिकारी
1.	कुलाधिपति
2.	कुलपति
3.	पीठाध्यक्ष
4.	कुलसचिव
5.	वित्त अधिकारी
6.	परीक्षा नियंत्रक
7.	विभागध्यक्ष
8.	छात्र कल्याणध्यक्ष
9.	पुस्तकालध्यक्ष

1. कुलाधिपति

2. श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के कुलाधिपति की नियुक्ति, देश के शैक्षणिक या सार्वजनिक जीवन के विख्यात व्यक्तियों में से कार्य परिषद् द्वारा सिफारिश किए गए तीन से अधिक व्यक्तियों के पैनल में से कुलाध्यक्ष द्वारा की जाएगी: परन्तु यदि कुलाध्यक्ष इस प्रकार सिफारिश किए गए व्यक्तियों में से किसी का अनुमोदन न करे तो वह कार्य परिषद् से नई सिफारिशें मांग सकेगा ।
3. श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के कुलाधिपति पांच वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे और पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे: परन्तु कुलाधिपति अपनी पदावधि के समाप्त होने पर भी तब तक पद पर बने रहेंगे जब तक उनका उत्तरवर्ती अपना पदग्रहण न कर ले |
4. श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के कुलाधिपति की आयु उस वर्ष, जिसके दौरान रिक्ति उत्पन्न हुई है, की 1 जनवरी को सत्तर वर्ष से अधिक नहीं होगी |

कुलाधिपति की शक्तियां एवं कर्तव्य

1. मानव संसाधन विकास मंत्रालय का भारसाधक मंत्री केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली का पदेन कुलाधिपति होगा।
2. कुलाधिपति, अपने पदाभिधान से, विश्वविद्यालय का प्रधान होगा और यदि वह उपस्थित है तो डिग्रियां प्रदान करने के लिए आयोजित विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोहों और सभा के अधिवेशनों में पीठासीन होगा।
3. कुलाधिपति, उन मामलों में अपील प्राधिकारी होगा, जहां अनुशासनिक प्राधिकारी कार्य परिषद् है ।

2. कुलपति

1. कुलपति की नियुक्ति, खंड (3) के अधीन गठित समिति द्वारा सिफारिश किए गए तीन नामों के पैनल में से कुलाध्यक्ष द्वारा की जाएगी:
   परन्तु यदि कुलाध्यक्ष पैनल में सम्मिलित व्यक्तियों में से किसी की सिफारिश न करे तो वह नए नामों का नया पैनल मंगा सकेगा।
2. कुलपति संस्कृत और सम्बद्ध विषयों के क्षेत्र में विख्यात विद्वान होगा और उसकी अर्हताएं वह होगी जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) के अधीन इस निमित्त बनाए गए विनियमों में यथानिर्दिष्ट है।
3. यदि कुलपति की यह राय है कि किसी मामले में तुरंत कार्रवाई आवश्यक है तो वह किसी ऐसी शक्ति का प्रयोग कर सकेगा जो विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी को इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त है और अपने द्वारा उस मामले में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट अगले अधिवेशन में उस प्राधिकारी को देगा:
   परंतु यदि संबंधित प्राधिकारी की यह राय है कि ऐसी कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए थी तो वह ऐसा मामला कुलाध्यक्ष को निर्देशित कर सकेगा जिसका उस पर निर्णय अंतिम होगा:
   परंतु यह और कि विश्वविद्यालय में सेवारत ऐसे व्यक्ति को, जो इस उपधारा के अधीन कुलपति द्वारा की गई कार्रवाई से व्यथित है, यह अधिकार होगा कि जिस तारीख को ऐसी कार्रवाई का निर्णय उसे संसूचित किया जाता है उससे तीन मास के भीतर वह उस कार्रवाई के विरुद्ध अभ्यावेदन, कार्य परिषद् को करे और तब कार्य परिषद्, कुलपति द्वारा की गई कार्रवाई को पुष्ट, उपांतरित कर सकेगा या उसे उलट सकेगा। कुलपति विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा।
4. यदि कुलपति की यह राय है कि विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी का कोई निर्णय इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों के उपबंधों द्वारा प्रदत्त प्राधिकारी की शक्तियों के बाहर है या किया गया 'निर्णय विश्वविद्यालय के हित में नहीं है तो वह संबंधित प्राधिकारी से अपने निर्णय का ऐसे निर्णय के साठ दिन के भीतर पुनर्विलोकन करने के लिए कह सकेगा और यदि वह प्राधिकारी उस निर्णय का पूर्णत: या भागत: पुनर्विलोकन करने से इंकार करता है या उसके द्वारा उक्त साठ दिन की अवधि के भीतर कोई निर्णय नहीं किया जाता है तो वह मामला कुलाध्यक्ष को निर्दिष्ट किया जाएगा जिसका उस पर निर्णय अंतिम होगा।
5. कुलपति विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा।
6. कुलपति अपना पद ग्रहण करने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक या सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पद धारण करेगा:
   परन्तु कुलाध्यक्ष यह निदेश दे सकेगा कि ऐसा कोई कुलपति, जिसकी पदावधि समाप्त हो गई है, कुल मिलाकर एक वर्ष से अनधिक की ऐसी अवधि तक, जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, इस बात के अध्यधीन रहते हुए कि उसकी आयु सत्तर वर्ष से अधिक न हो, पद पर बना रहेगा।

कुलपति की शक्तियां और कर्तव्य

1. कुलपति, कार्य परिषद्, विद्या परिषद्, वित्त समिति और योजना तथा निगरानी बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होगा और कुलाधिपति की अनुपस्थिति में उपाधियां प्रदान करने के लिए आयोजित दीक्षांत समारोहों और कोर्ट के अधिवेशनों की अध्यक्षता करेगा।
2. कुलपति, विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय के किसी अधिवेशन में उपस्थित रहने और उसे संबोधित करने का हकदार होगा किन्तु वह उसमें मत देने का तब तक हकदार नहीं होगा जब तक वह ऐसे प्राधिकारी या निकाय का सदस्य न हो ।
3. यह देखना कुलपति का कर्तव्य होगा कि इस अधिनियम, परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का सम्यूक रूप से पालन किया जाता है और उसे ऐसा पालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सभी शक्तियां प्राप्त होंगी।
4. कुलपति को विश्वविद्यालय में समुचित अनुशासन बनाए रखने के लिए आवश्यक सभी शक्तियां होंगी और वह किन्हीं ऐसी शक्तियों को किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को, जिन्हें वह ठीक समझे, प्रत्योयोजित कर सकेगा।
5. कुलपति को कार्य परिषद्, विद्या परिषद्, वित्त समिति और योजना तथा निगरानी बोर्ड के अधिवेशन बुलाने या बुलवाने की शक्ति होगी ।

3. विद्यापीठों के पीठाध्यक्ष ।

1. प्रत्येक विद्यापीठ के पीठाध्यक्ष की नियुक्ति, कुलपति द्वारा उस विद्यापीठ के आचार्यों में से वरियता के क्रम में चक्रानुक्रम से तीन वर्ष की अवधि के लिए की जाएगी;

   परंतु यदि विद्यापीठ में केवल एक आचार्य है या कोई आचार्य नहीं है तो तत्समय पीठाध्यक्ष की नियुक्ति विद्यापीठ के आचार्य, यदि कोई हों और सह-आचार्यों में से वरियता के क्रम में चक्रानुक्रम से की जाएगी:

   परंतु यह और कि पीठाध्यक्ष पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर उस रूप में पद पर नहीं रहेगा।

2. जब पीठाध्यक्ष का पद रिक्त है या जब पीठाध्यक्ष, रुगणता, अनुपस्थिति के कारण या किसी अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो तो उसके पद के कर्तव्यों का पालन, 'यथास्थिति, विद्यापीठ के वरियता आचार्य द्वारा किया जाएगा।

विद्यापीठों के पीठाध्यक्ष की शक्तियां एवं कर्तव्य

1. पीठाध्यक्ष, विद्यापीठ का अध्यक्ष होगा और विद्यापीठ में अध्यापन और अनुसंधान के संचालन तथा उनका स्तर बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होगा और उसके ऐसे अन्य कृत्य भी होंगे जो अध्यादेशों द्वारा विहित किए, जाएं।
2. पीठाध्यक्ष को, यथास्थिति, अध्ययन बोर्डों या विद्यापीठ की समितियों के किसी अधिवेशन में उपस्थित होने और बोलने का अधिकार होगा, किन्तु जब तक वह उसका सदस्य नहीं है तब तक उसे उसमें मत देने का अधिकार नहीं होगा।

4.कुलसचिव

1. कुलसचिव की नियुक्ति, इस प्रयोजन के लिए गठित चयन समिति की सिफारिश पर कार्य परिषद् द्वारा की जाएगी और वह विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा।
2. कुलसचिव की नियुक्ति पांच वर्ष की अवधि के लिए की जाएगी और वह ऐसी प्रक्रिया का जो ऐसी नियुक्ति के लिए अधिकथित की जाए और अनुसरण करने के पश्चात् पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा।
3. कुलसचिव की परिलब्धियां तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें वे होंगी जो समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएं:
   परंतु कुलसचिव बासठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर सेवानिवृत्त हो जाएगा।

कुलसचिव की शक्तियां एवं कर्तव्य

1. कुलसचिव, कार्य परिषद् और विद्या परिषद् का पदेन सचिव होगा, किंतु यह इन प्राधिकारियों में से किसी भी प्राधिकारी का सदस्य नहीं समझा जाएगा और वह कोर्ट और योजना तथा निगरानी बोर्ड का पदेन सदस्य-सचिव होगा।
2. कुलसचिव का यह कर्तव्य होगा कि वह विश्वविद्यालय के अभिलेख, सामान्य मुहर और ऐसी अन्य संपत्ति को, जो कार्य परिषद् उसके भारसाधन में सौंपे, अभिरक्षा में रखे;
3. कुलसचिव कोर्ट, कार्य परिषद्, विद्या परिषद्, योजना तथा निगरानी बोर्ड और उन प्राधिकारियों द्वारा नियुक्त किन्हीं समितियों के अधिवेशन बुलाने की सभी सूचनाएं निकाले;
4. कुलसचिव कोर्ट, कार्य परिषद्, विद्या परिषद्, योजना तथा निगरानी बोर्ड और उन प्राधिकारियों द्वारा नियुक्त किन्हीं समितियों के सभी अधिवेशनों के कार्यवृत्त रखे;
5. कुलसचिव कोर्ट, कार्य परिषद्, विद्या परिषद् और योजना तथा निगरानी बोर्ड के शासकीय पत्र-व्यवहार का संचालन करे;
6. कुलसचिव कुलाध्यक्ष को विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के अधिवेशनों की कार्य सूची की प्रतियां, जैसे ही वे जारी की जाएं और इन अधिवेशनों के कार्यवृत्त दे;
7. कुलसचिव विश्वविद्यालय द्वारा या उसके विरुद्ध वादों या कार्यवाहियों में विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करे, मुख्तारनामों पर हस्ताक्षर करे तथा अभिवचनों को सत्यापित करे या इस प्रयोजन के लिए अपनी प्रतिनिधि प्रतिनियुक्त करे; और
8. कुलसचिव ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे, जो परिनियमों, अध्यादेशों या विनियमों में विनिर्दिष्ट किए. जाएं अथवा जिनकी कार्य परिषद् या कुलपति द्वारा समय-समय पर अपेक्षा की जाए।

5.वित्त अधिकारी ।

1. वित्त अधिकारी इस प्रयोजन के लिए गठित चयन समिति की सिफारिश पर कार्य परिषद् द्वारा नियुक्त किया जाएगा और वह विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा।

2. वित्त अधिकारी की नियुक्ति पांच वर्ष की अवधि के लिए की जाएगी और वह ऐसी प्रक्रिया का जो ऐसी नियुक्ति के लिए अधिकथित की जाए अनुसरण करने के पश्चात् पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा।

3. वित्त अधिकारी की उपलब्धियां तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी, जो समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएं:

<u>वित्त अधिकारी की शक्तियां एवं कर्तव्य</u>

1. वित्त अधिकारी, वित्त समिति का पदेन सदस्य सचिव होगा।
2. वित्त अधिकारी विश्वविद्यालय की निधि का साधारण पर्यवेक्षण करेगा और उसकी वित्तीय नीति के संबंध में उसे सलाह देगा; और
3. वित्त अधिकारी ऐसे अन्य वित्तीय कृत्यों का पालन करेगा जो उसे कार्य परिषद् द्वारा सौंपे जाएं या जो 'परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा विहित किए जाएं।
4. जब वित्त अधिकारी का पद रिक्त है या जब वित्त अधिकारी रुग्णता, अनुपस्थिति के कारण या किसी अन्य कारण से अपने पद से कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है तब उस पद के कर्तव्यों का पालन उस व्यक्ति द्वारा किया जाएगा, जिसे कुलपति उस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे ।
5. कार्य परिषद् के नियंत्रण के अधीन रहते हुए वित्त अधिकारी—
   (क) विश्वविद्यालय की संपत्ति और विनिधानों को, जिनके अंतर्गत न्यास और विन्यास की संपत्ति भी है, धारण करेगा और उनका प्रबंध करेगा;
   (ख) यह सुनिश्चित करेगा कि कार्य परिषद् द्वारा एक वर्ष के लिए नियत आवर्ती और अनावर्ती व्यय की सीमाओं से अधिक व्यय न किया जाए और सभी धन का व्यय उसी प्रयोजन के लिए किया जाए, ' जिनके लिए वह मंजूर या आबंटित किया गया है;
   (ग) (ग) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखा और बजट तैयार किए जाने और उनको कार्य परिषद् को प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी होगा;
   (घ) नकद और बैंक अतिशेषों तथा विनिधानों की स्थिति पर बराबर नजर रखेगा;
   (ङ) राजस्व के संग्रहण की प्रगति पर नजर रखेगा और संग्रहण करने के लिए अपनाए जाने वाले तरीकों के विषय में सलाह देगा;
   (च) यह सुनिश्चित करेगा कि भवन, भूमि, फर्नीचर और उपस्कर के रजिस्टर अद्यतन रखे जाएं तथा सभी कार्यालयों, विभागों, केन्द्रों और विशेषित प्रयोगशालाओं के उपस्कर तथा अन्य उपयोज्य सामग्री के स्टाक की जांच की जाए;
   (छ) अप्राधिकृत व्यय या अन्य वित्तीय अनियमितताओं को कुलपति की जानकारी में लाएगा तथा 'व्यतिक्रमी व्यक्तियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई का सुझाव देगा;
   (ज) विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जा रहे किसी कार्यालय, विभाग, केन्द्र, प्रयोगशाला, महाविद्यालय, विद्या शाखा या संस्था से कोई ऐसी जानकारी या विवरणियां मांगेगा जो वह अपने कर्तव्यों के पालन के लिए आवश्यक समझे |

<u>6.परीक्षा नियंत्रक |</u>

1. परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति इस प्रयोजन के लिए गठित चयन समिति की सिफारिश पर कार्य परिषद् द्वारा की जाएगी और वह विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा।

2. परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति पांच वर्ष की अवधि के लिए की जाएगी और वह ऐसी प्रक्रिया का जो ऐसी नियुक्ति के लिए अधिकथित की जाए अनुसरण करने के पश्चात् पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा।

3. परीक्षा नियंत्रक की परिलब्धियां तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी जो समय-समय पर केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएं:

4. परन्तु परीक्षा नियंत्रक बासठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर सेवानिवृत हो जाएगा।

5. जब परीक्षा नियंत्रक का पद रिक्त है या जब परीक्षा नियंत्रक रूगणता, अनुपस्थिति के कारण या 'किसी अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है तब उस पद के कर्तव्यों का पालन उस व्यक्ति द्वारा किया जाएगा जिसे कुलपति उस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे ।

<u>परीक्षा नियंत्रक की शक्तियां एवं कर्तव्य</u>

1. परीक्षा नियंत्रक, अध्यादेशों द्वारा विहित रीति में विश्वविद्यालय की परीक्षाएं करवाएगा और उनका अधीक्षण करेगा।

<u>7.विभागाध्यक्ष (एचओडी):</u>

(i) विश्वविद्यालय के प्रत्येक विभाग के लिए एक विभागाध्यक्ष होगा, जिसे कुलपति द्वारा विभाग के प्रोफेसरों में से नियुक्त किया जाएगा। बशर्ते कि यदि विभाग में कोई प्रोफेसर नहीं है या विभाग में केवल एक प्रोफेसर है, जिसका विभागाध्यक्ष के रूप में कार्यकाल समाप्त हो रहा है, तो कुलपति एक एसोसिएट प्रोफेसर को विभागाध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर सकते हैं।

(ii) विभागाध्यक्ष का कार्यकाल सामान्यतः 3 वर्ष का होगा और वह एक और कार्यकाल के लिए पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा, लेकिन लगातार दो कार्यकाल के लिए नहीं। विभागाध्यक्ष की शक्तियां और कर्तव्य: क) विभागाध्यक्ष की शक्तियां और कार्य विश्वविद्यालय के उपनियमों द्वारा निर्धारित किए जाएंगे।

<u>8.पुस्तकालयाध्यक्ष |</u>

1. पुस्तकालयाध्यक्ष की नियुक्ति कार्य परिषद् द्वारा इस प्रयोजन के लिए गठित चयन समिति की सिफारिश पर की जाएगी और वह विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा।

<u>पुस्तकालयाध्यक्ष की शक्तियां एवं कर्तव्य</u>

1. पुस्तकालयाध्यक्ष, ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो उसे कार्य परिषद् द्वारा सौंपे जाएं ।

1.2.1 - अन्य कर्मचारियों की शक्तियाँ एवं कर्तव्य

जैसा कि केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम-2020 एवं भर्ती नियम पृष्ठ संख्या 67 से 97 में परिभाषित है

https://www.slbsrsv.ac.in/sites/default/files/The_Central_Sanskrit_Universities_Act_2020.pdf

https://www.slbsrsv.ac.in/university-corner/recruitment-rules

https://www.slbsrsv.ac.in/university-corner/minutes-committee-meetings

1.2.2 - नियम/आदेश जिसके अंतर्गत शक्तियाँ एवं कर्तव्य प्राप्त होते हैं और

जैसा कि केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम-2020 में परिभाषित है तथा कार्यकारी परिषद के निर्णयों के अनुसरण में जारी अधिसूचनाएँ।

https://www.slbsrsv.ac.in/sites/default/files/The_Central_Sanskrit_Universities_Act_2020.pdf

https://www.slbsrsv.ac.in/university-corner/minutes-committee-meetings

1.2.3 - कार्यान्वित

जैसा कि केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम-2020 में परिभाषित किया गया है और कार्यकारी परिषद के निर्णयों के अनुसरण में अधिसूचनाएं जारी की गई हैं।

https://www.slbsrsv.ac.in/sites/default/files/The_Central_Sanskrit_Universities_Act_2020.pdf

https://www.slbsrsv.ac.in/university-corner/minutes-committee-meetings

1.2.4 - कार्य आवंटन

जैसा कि केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम-2020 में परिभाषित किया गया है, भर्ती नियम पृष्ठ क्रमांक। 67 से 97 और कार्यकारी परिषद के निर्णयों के अनुसरण में जारी अधिसूचनाएँ।

https://www.slbsrsv.ac.in/sites/default/files/The_Central_Sanskrit_Universities_Act_2020.pdf

https://www.slbsrsv.ac.in/university-corner/recruitment-rules

https://www.slbsrsv.ac.in/university-corner/minutes-committee-meetings